न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 119/2016

1. करमा पुत्री बिरदीचन्द जाति जाट आयु करीबन 37 साल निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
2. सुरता पुत्री बिरदीचन्द जाति जाट आयु करीबन 28 साल निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. बिरदीचन्द पुत्र माधू जाति जाट आयु 60 साल निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
2. शैतान पुत्र बिरदीचन्द जाति जाट आयु 26 साल निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री गोविन्द दास पुरोहित
वकील अप्रार्थी श्री गणेश प्रजापति

दिनांक 19/8/2015

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द दास पुरोहित ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीयागण आपस में रक्त सम्बंधी है तथा अप्रार्थी भी प्रार्थीया के परिवार के सदस्य है। प्रार्थी के दादा माधू पुत्र छोटू थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 25.05.2010 को हो गया था जिनके वारिसान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 है। प्रार्थी के दादा माधू की विरासत की भूमि इस प्रकार है कि ग्राम टिकावडा के खसरा संख्या 268, 301, 302, 304 कुल किता 04 कुल रकबा 17 बीघा 15 बीस्वा भूमि थी जिसमें स्व. माधू का 1/8 हिस्सा था। खाता संख्या 151 के खसरा संख्या 612 रकबा 07 बीघा 18 बीस्वा जिसमें जिसमें स्व. माधू का 1/4 हिस्सा था। खाता संख्या 152 के खसरा संख्या 135, 136, 137 कुल किता 03 कुल रकबा 30 बीघा 14 बीस्वा भूमि थी जिसमें स्व माधू का 1/4 हिस्सा निहित था। इसी प्रकार स्व. माधू की ग्राम भूवाडा स्थित भूमि खसरा संख्या 42, 45, 47 तथा खसरा संख्या 44 स्थित थी उक्त आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीसंख्या 01 व 02 पृथक पृथक बराबर हिस्से के खातेदार है तथा उसी के अनुसार प्रार्थीयागण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि में माधू की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण केवल स्वयं के नाम खुलवा लिया गया जबकि प्रार्थीया गण का भी वादअधीन भूमि में बराबर का हिस्सा बनता था। इस अवैध विरासत के अनुसार अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि को खुर्द बुर्द व अन्तरण करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद प्रार्थीयागण के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.08.2016 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 11.02.2020 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से वकील श्री गणेश प्रजापत

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित हुये तथा दिनांक 13.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवदेन किया गया कि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 के कथन इस सीमा तक स्वीकार है कि प्रार्थीयागण ने एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 के जवाब में लेख है कि प्रार्थीयागण ने प्रार्थना पत्र में करमा, सूरता पुत्रियां माधू दर्शित किया है इसलिए माधू के कोई जायन्दा सन्तान नहीं है तथा प्रार्थीयागण ने आगे जाकर माधू को अपना दादा बता दिया है इसलिए प्रार्थीयागण का माधू के साथ क्या रक्त संबंध है प्रार्थना पत्र में प्रार्थीयागण स्पष्ट करें तथा माधू पुत्र छोटू का स्वर्गवास दिनांक 27.05.2010 को ग्राम टिकावड़ा में होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 3 के जवाब में लेख है कि छोटू पुत्र माधू का जो प्रार्थीयागण द्वारा सजरा अंकित किया है वह गलत है प्रार्थीयागण ने स्वयं को प्रार्थना पत्र में सर्व प्रथम करमा पुत्र माधू व सूरता पुत्र माधू अंकित किया है तथा सजरे में पौत्री बता रही है इसलिए प्रार्थीयागण कोई भी विधि सम्मत दस्तावेज न्यायालय में पेश करे ताकि अप्रार्थीगण द्वारा सही जवाब दिया जा सके। इसलिए पैरा संख्या 3 में वर्णित सजरा सही अंकित नहीं है माधू पुत्र छोटू जाति जाट निवासी ग्राम टिकावड़ा के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को माधू ने दिनांक 26.06.2000 को गोद लेने बाबत् गोदनामा निष्पादित किया जो पंजीकृत गोदनामा अप्रार्थी संख्या 1 के पास मौजूद है। माधु पुत्र छोटू द्वारा अपनी कृषि भूमि के बाबत् अपने वारिस अप्रार्थी संख्या 1 को ही भूमि संभलाई थी तथा उक्त भूमि से प्रार्थीयागण का कोई हक व संबंध नहीं है इसलिए पैरा संख्या 3 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 6 के उप पैरा संख्या 1 व 2 के जवाब में लेख है कि ग्राम खेड़ा पटवार हल्का भुंवाड़ा तहसील किशनगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 11 बिस्वा, इस प्रकार कुल किता 3 का कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में माधू का 1/8 हिस्सा होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 44 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा में माधू का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार है तथा उक्त भूमि माधू के फोत हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तथा माधू के अन्य कोई वारिस नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी है तथा इसमें प्रार्थीयागण का कोई हक व संबंध नहीं है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 7 के जवाब में लेख है कि प्रार्थीयागण द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रारम्भ में प्रार्थना पत्र शीर्षक में स्वयं को माधू की पुत्रियां बताया है तथा आगे जाकर माधू की पौत्रियां बता रही है इसलिए प्रार्थीयागण स्वयं ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनका माधू से क्या रिश्ता है इसलिए प्रार्थीयागण इसमें कोई ठोस विधि सम्मत दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश करे तथा प्रार्थना पत्र में संशोधन करावे ताकि सही जवाब दिया जा सके। प्रार्थीयागण द्वारा माधू की सम्पत्ति में स्वयं का 1/4, 1/4 हिस्सा होना बताया है जब कि उक्त भूमि से प्रार्थीयागण का कोई हक व संबंध नहीं है प्रार्थीया करमा का विवाह मिश्री जी एवं सूरता का विवाह विश्राम के साथ हो रखा है दोनो ही अपने ससुराल ग्राम मुण्डोती में निवास करती है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीयागण का कभी भी कोई कब्जा स्वामित्व नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार माधू पुत्र छोटू के फोत हो जाने से उसके दत्तक पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 व 6 में वर्णित भूमि का विरासत का नागान्तकरण दर्ज किया गया, माधू की सम्पत्ति में प्रार्थीयागण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है तथा मौके पर प्रार्थीयागण का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है प्रार्थीयागण ने उक्त भूमि पर 1/4, 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त होना बताया है उक्त कथन अस्वीकार है तथा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के कथन मनघडन्त, आधारहीन व गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 8 के जवाब में लेख है कि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम खेड़ा पटवार हल्का भुवाड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा में स्थित है उक्त भूमि पूर्व में माधू के नाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी माधू के फोत होने पर उसकी विरासत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी तथा इस भूमि पर माधू के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त रहा है तथा उक्त भूमि के माधू के हिस्से पर प्रार्थीयागण का 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा एक व हिस्सा होता तो उनका भी नाम दर्ज किया जाता तथा प्रार्थीयागण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किये गये विरासत नामान्तकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा इस भूमि में प्रार्थीयागण का कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिए पैरा संख्या 9 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 10 के जवाब में लेख है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार माधू के फोत होने पर उसका नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है वह नियमानुसार सही एवं सत्य है तथा उसके संबंध में प्रार्थीयागण को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 11 के जवाब में लेख है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 व 6 में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही स्वामित्व होने के कारण उक्त भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरित करने का अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्ण अधिकार है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिनांक 05.01.2016 को दो विकय पत्रों के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया है जिसका विकय का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज होकर मौके पर खरीद की दिनांक से अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थना पत्र अधीन आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा दोनो ही विकय पत्रों को प्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 के द्वारा किसी भी सिविल न्यायालय में उपस्थित होकर निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की है तथा जब तक इन दोनो विकय पत्रों को सिविल न्यायालय द्वारा शून्य एवं निरस्त घोषित नहीं किया जाता है तब तक प्रार्थीयागण को माननीय न्यायालय में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 12 के जवाब में लेख है कि प्रार्थना पत्र अधीन आराजी से प्रार्थीयागण का कोई हक व संबंध नहीं है तथा प्रार्थीयागण द्वारा माधू के वारिस होने बाबत् सक्षम न्यायालय से कोई घोषणात्मक डिकी इस संबंध में प्राप्त नहीं की है। इसलिए प्रार्थीयागण को प्रथम दृष्ट्या माधू का वारिस नहीं माना जा सकता है। उक्त भूमि में प्रार्थीयागण का कोई भी हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 13 के जवाब में लेख है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 व 6 में वर्णित आराजी स्व० माधू के पश्चात् विरासत में अप्रार्थी संख्या 1 को उत्तराधिकार के अनुसार प्राप्त हुई है तथा उक्त सम्पत्ति में खातेदारी हको की घोषणा बाबत् प्रार्थीयागण को अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 14 के जवाब में लेख है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजी खुशी दिनांक 05.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्रों का निष्पादन किया है वो सही है तथा इन दोनो विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने बाबत् प्रार्थीयागण द्वारा सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है तथा सिविल न्यायालय से उत्तराधिकारी अधिकारों के संबंध में कोई घोषणात्मक डिकी प्राप्त नहीं की है प्रार्थीयागण ने द्वेष भावना से प्रेरित होकर अपने कुछ रिश्तेदारो के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को परेशान करने की मंशा से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है और ऐसी स्थिति में दिनांक 05.01.2016 को कोई कारण वाद उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए पैरा संख्या 14 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 16 के कथन प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थीयागण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सिद्ध है, प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 18 में जो अनुतोष प्रार्थीयागण द्वारा माननीय न्यायालय से मांगा गया है वह किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीयागण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमावें।

दिनांक 19.08.2025 को हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थीयागण खातेदार नहीं है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जिससे उनका वादअधीन भूमि में प्रथम दृष्टयाहक जाहिर हो। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः— वादअधीन भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्व हो कि अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी को कारित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

19/8/25

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)